

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आषाढ़ 27, 1936

No. 370]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASHADHA 27, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 508(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2014 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में :—

(क) नियम 2.1.2, के उप-नियम 1 में अर्हता के संबंध में, खंड (iii) के उप-खंड (ख) में शब्दों "एक वर्ष" के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 2.1.3, के उप-नियम 3 में अर्हता के संबंध में, परंतुक में शब्दों "दो वर्ष" के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1(29) 2011/हरियाणा/एफ एस एस ए आई]

अरुण कुमार पण्डा, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 362(अ), तारीख 5 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और इनका अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2014

**G.S.R. 508(E).**— In exercise of the powers conferred by section 91 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby makes the following Rules amending the Food Safety and Standards Rules, 2011:—

1. (1) These rules may be called the Food Safety and Standards (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Rules, 2011,—

- (a) in rule 2.1.2, in sub-rule 1 relating to Qualification, in clause (iii), in sub- clause (b), for the words “one year”, the words “five years” shall be substituted;
- (b) in rule 2.1.3, in sub-rule 3 relating to Qualification, in the proviso, for the words “two years”, the words “five years” shall be substituted.

[F. No. 1(29) 2011/Haryana/FSSAI]

ARUN KUMAR PANDA, Addl. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 362(E), dated 5th, May, 2011 and these have not been amended so far.